प्रेमी की जगह होटल पहुंचा पति, पत्नी ने जड़ा चांटा

जासं, आगरा: ट्रांस यमुना के कालिंदी विहार स्थित एक होटल में शुक्रवार की दोपहर प्रेमी से मिलने पहुंची पत्नी को पति ने पकड़ लिया। दोनों के बीच होटल के सामने सड़क पर रार हो गई। खींचतान के दौरान पत्नी ने पति को चांटा मार दिया। हंगामा होता देख आसपास के राहगीर मौके पर जुट गए। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी कई महीने से मायके में रह रही थी। कई बार बुलाने गया लेकिन वह नहीं आ रही थी। जिससे शक हो गया, दोनों की शादी को 14 वर्ष हो गए। उनके तीन बच्चे भी हैं। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के प्रेम संबंध उसके एक मित्र से हो गए हैं। करीब आधा घंटे तक दोनों के बीच विवाद होता रहा। लोगों ने दंपती के बीच हुई मारपीट का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।

12वीं के छात्र ने पिता की राइफल से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

बाह क्षेत्र की घटना, कोटा में एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं पिता

आदित्य शर्मा

संवाद सूत्र, जागरण ● बाह (आगरा): 12वीं के छात्र आदित्य शर्मा ने शुक्रवार सुबह पिता की लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त पिता दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। खिड़की से झांकने पर इकलौते बेटे को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा देखा। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक बेटे की मौत हो चुकी थी। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जिस राइफल से आदित्य ने खुद को गोली मारी, उसे पिता गुरुवार रात को ही खरीदकर लाए थे।

डिफेंस कालोनी के रहने वाले संदीप शर्मा राजस्थान के कोटा में एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। वह गुरुवार देर शाम ही घर लौटे थे। इकलौते बेटे आदित्य ने राइफल को दूसरी मंजिल पर बने कमरे में रख दिया। शुक्रवार सुबह घटना से करीब एक घंटा पहले आदित्य कालोनी में ही फोन पर किसी से बात करता दिखाई दिया। इसके बाद अपने घर चला गया। पिता दूसरी मंजिल पर कमरे में लेटे थे। आदित्य पास ही दूसरे कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। रात 11 बजे आदित्य के कमरे में गोली चलने की आवाज सुन पिता दौड़ पड़े। खिड़की से झांककर देखा तो आदित्य खून से लथपथ पड़ा था। स्वजन आदित्य को अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मृतक के पास उसका मोबाइल मिला।

कार से गांव तक छोड़ने के बहाने बदमाशों ने दंपती से की लूटपाट

जासं, आगरा: कोटा से नातिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए दंपती संग कार सवारों ने लूटपाट की।

कोटा के अंबे विहार कालोनी निवासी राधेश्याम अपनी पत्नी मीना सोनी के साथ 20 जुलाई की सुबह पांच बजे आगरा आए थे। मीना को अपनी नातिन के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। दंपती बिजलीघर बस अड्डे पर सैंया के गांव विरहरू जाने के लिए आटो की प्रतीक्षा कर रहे थे। मीना ने बताया कि तभी काले रंग की कार उनके पास आकर रुकी। कार सवार युवक ने पूछताछ के बाद कहा कि वह भी विरहरू जा रहा है, उन्हें वहां छोड़ देगा। कार में पहले से दो युवक सवार थे। मीना ने बताया कि

बिजलीघर पर कार सवार बदमाशों ने गांव छोड़ने का दिया था भरोसा, लूटपाट कर एकता क्षेत्र में उतार भागे बदमाश

कार चालक ने सेवला पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाया। उन्हें गुतिला मोड़ के पास सुनसान जगह ले गया। जहां युवकों ने तमंचे के बल पर मीना से सोने की चेन, अंगूठी, टाप्स और चांदी की पायल लूट लीं। वारदात के बाद दंपती को धक्का देकर उतार दिया और कार लेकर भाग निकले। एकता थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार सवार आरोपितों का सुराग लगाया जा रहा है।

ग्राफिक एरा गौरव श्रृंखला - 54

अर्पित कुमार सिंह
ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड
बी.टेक सी.एस.ई. - 2026
ग्राफिक एरा देहरादून परिसर
प्लेसमेंट पैकेज ₹47.88 लाख
amazon
Graphic Era Hill University
DEHRADUN • BHIMTAL • HALDWANI
www.gehu.ac.in 1800 890 6027

दैनिक जागरण

यदि आपको दैनिक जागरण की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल पा रही है तो कृपया दूरभाष या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे

अखबार वितरण के कार्य से जुड़ने हेतु आज ही संपर्क एवं व्हाट्सएप करें

8429021365

E-mail
girish.kumar@agr.jagran.com

महिला की मौत में प्लाट मालिक की जमानत निरस्त

जासं, आगरा: महिला की मृत्यु के मामले में अदालत ने आरोपित प्लाट मालिक विजय सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

वादी संजय ने थाना शाहगंज में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि 13 जून को विजय सिंह के प्लाट में बेकहो लोडर से मिट्टी डालते समय दीवार गिरने से उनकी पत्नी गीता देवी की दबकर मृत्यु हो गई थी। विजय सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित 18 जून से जिला कारागार में निरुद्ध है। जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता के तर्कों के आधार पर आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

पुलिस और सीबीआइ के आरोप पत्र पर उठाए प्रश्न

शोध छात्रा हत्याकांड

कोर्ट में आरोपित उदय स्वरूप के अधिवक्ताओं की ओर से 50 मिनट तक चली बहस, अगली बहस 31 जुलाई को

जासं, आगरा: शहर के चर्चित दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीईआइ) की शोध छात्रा हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से 50 मिनट तक बहस चली। आरोपित उदय स्वरूप की ओर के अधिवक्ताओं ने हत्याकांड में पुलिस और सीबीआइ द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर प्रश्न उठाए। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

डीईआइ की नैनो बायोटेक्नोलाजी लैब में 15 मार्च 2013 को शोध छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को जेल भेजा था। मामला सीबीआइ को ट्रांसफर हुआ। उसने सिर्फ उदय स्वरुप को आरोपित बनाया। अभियोजन की ओर से चार दर्जन से अधिक लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। उदय स्वरूप जमानत पर बाहर है। बचाव साक्ष्य के पांच गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसमें एक लंदन निवासी डा. एंडेरी सेमिकोस्की फोरेंसिक डीएनए विशेषज्ञ की गवाही भी हुई थी। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गजिंदर कुमार व चंद्रशेखर और आगरा के दीपक शर्मा ने गवाह बयानों, पुलिस और सीबीआई की चार्जशीट के तथ्यों को लेकर बहस आगे बढ़ाई। पुलिस और सीबीआइ, दो जांच एजेंसियों ने हत्याकांड की जांच की थी। सीबीआइ ने जांच के बाद, दूसरा आरोप पत्र 2016 में कोर्ट में दाखिल किया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार अपराध में दो लोग शामिल थे। दोनों ही आरोपित बनाए गए और गिरफ्तार हुए जबकि सीबीआइ के आरोप पत्र के अनुसार एक व्यक्ति ने ही घटना को अंजाम दिया। पुलिस के आरोप पत्र में दूसरे आरोपित पर शोध छात्रा की कार चलाकर खेतों में छोड़ने का आरोप लगाया गया, मगर सीबीआइ ने दूसरे आरोपित को घटना में संलिप्त नहीं पाया। पुलिस का कहना है कि कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने दो लोगों को शोधछात्रा की हत्या करते हुए देखा था जबकि सीबीआइ के अनुसार एक ही व्यक्ति ने लैब में पड़ी क्लोरोफार्म में दो रूमालों को भिगोकर उनके प्रयोग से शोधछात्रा को बेहोश किया, फिर उसकी कार चलाकर डेढ़ किमी दूरी पर छोड़कर वापस लैब आ गया। आरोप पत्र के अनुसार अकेला व्यक्ति गाडी छोड़कर दुष्कर्म और हत्या करने के लिए लैब वापस लौटा। वादी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने बचाव साक्ष्य के सभी गवाहों से जिरह की।

तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से सफाई कर्मी की मृत्यु

जासं, आगरा : पालीवाल पार्क रोड पर तेज रफ्तार नाबालिग स्कूटी चालक ने सफाई कर्मी को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोकुलपुरा वाल्मीकि बस्ती निवासी विजय ने बताया कि वह अपने भाई अजय के साथ प्राइवेट सफाईकर्मी का काम करते हैं। गुरुवार सुबह आठ बजे भाई अजय पालीवाल पार्क रोड पर सफाई कर रहे थे। जीवनी मंडी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार स्कूटी चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

(संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

रिक्त सीटों के लिए स्पॉट राउंड-I

एसपीए वेबसाइट पर स्पॉट राउंड में सत्र 2026-27 के लिए मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रिक्त सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी श्रेणियों के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 02 अगस्त, 2026 है। पूरी जानकारी के लिए, कृपया "प्रवेश-2026-27" टैब के तहत स्कूल की वेबसाइट-www.spa.ac.in देखें।

हस्ता/- (रजिस्ट्रार)

कार्यालय ग्राम पंचायत कांतौर, वि०ख० कासगंज, जनपद कासगंज

पत्रांक-मीमो/निविदा/2026-27 दिनांक : 23.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत कांतौर विकास खण्ड कासगंज के द्वारा वर्ष 2026-27 में पंचम वित्त/केन्द्र वित्त आयोग/मनरेगा के अन्तर्गत इ०लॉकिंग,खरंजा, नाली, सी०सी० आदि निर्माण कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, ईंट रोड़ी, बदरपुट, सीमेन्ट, इ०लॉकिंग ईंट, रेता, बालू, स्टोन ग्रिड अन्य सामग्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 24.07.2026 से 30.07.2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक उक्त सामग्री हेतु अपने दरें तथा वांछित संलग्न बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कांतौर के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदा दिनांक 31.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत कांतौर द्वारा गठित कमेटी के द्वारा सम्बन्धित फर्मों के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी। निविदा हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	कार्य का नाम	कार्य की अवधि	अनुमानित लागत
1.	खुर्रमपुर में नेकसे के घर से कुंवरपाल के घर तक व होडल सिंह के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	15 दिन	3.10 लाख
2.	राजू के घर से अमरसिंह के प्लाट तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य	15 दिन	4.96 लाख

निविदा के सम्बन्ध में निविदा फार्म शर्त/नियम एवं प्राक्कलन आदि सम्बन्धित जानकारी निविदा डालने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

विक्रम सिंह, प्रशासक, ग्राम पंचायत कांतौर (कासगंज) — जगमोहन, सचिव, ग्राम पंचायत कांतौर (कासगंज)

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहनी मामूरगंज, विकास खण्ड कासगंज, जनपद कासगंज

पत्रांक-मीमो/निविदा/2026-27 दिनांक : 23.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत मोहनी मामूरगंज विकास खण्ड कासगंज के द्वारा वर्ष 2026-27 में पंचम वित्त/केन्द्र वित्त आयोग/मनरेगा के अन्तर्गत इ०लॉकिंग,खरंजा, नाली, सी०सी० आदि निर्माण कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, ईंट रोड़ी, बदरपुट, सीमेन्ट, इ०लॉकिंग ईंट, रेता, बालू, स्टोन ग्रिड अन्य सामग्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 24.07.2026 से 30.07.2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक उक्त सामग्री हेतु अपने दरें तथा वांछित संलग्न बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत मोहनी मामूरगंज के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदा दिनांक 31.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत मोहनी मामूरगंज द्वारा गठित कमेटी के द्वारा सम्बन्धित फर्मों के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी। निविदा हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	कार्य का नाम	कार्य की अवधि	अनुमानित लागत
1.	अच्छन के घर से मुकेश कुमार के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	15 दिन	4.14 लाख
2.	सामुदायिक शौचालय मरम्मत कार्य	15 दिन	1.38 लाख
3.	रामस्वरूप के घर से सत्यप्रकाश के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	15 दिन	1.90 लाख

निविदा के सम्बन्ध में निविदा फार्म शर्त/नियम एवं प्राक्कलन आदि सम्बन्धित जानकारी निविदा डालने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सर्वेश कुमार, प्रशासक, ग्राम पंचायत मोहनी मामूरगंज (कासगंज) — जगमोहन सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत मोहनी मामूरगंज (कासगंज)

हास्पिटल में गर्भवती की मृत्यु पर स्वजन ने किया हंगामा

जासं, आगरा: गर्भवती की इलाज के दौरान मौत होने पर शुक्रवार को रामतेज हास्पिटल में स्वजन ने हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। इस मामले में सीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है। जैतपुर के मनभावती पुरा निवासी गौरव कुमार दिल्ली में कैटरिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 32 वर्ष की पत्नी काजल का रामतेज हास्पिटल में इलाज चल रहा था। यह उनका चौथा गर्भधारण था। प्रसव की तिथि 15 अगस्त बताई थी। बुधवार को अस्पताल लेकर आए तो भर्ती कर लिया। खून और प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर 25 हजार रुपये में जंबो पैक लेकर आए। जंबो पैक चढ़ने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह मृत्यु होने के बाद भी उन्हें पत्नी के पास नहीं जाने दिया गया। स्वजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल संचालक डा. कामिनी खुराना ने बताया कि मरीज को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। खून और प्लेटलेट्स काउंट की कमी थी। इस बारे में तीमारदार को भी बता दिया था।

महिला ने वाट्सएप संदेश से जाल में फंसाकर 38 लाख रुपये ठगे

जासं, आगरा: शाहगंज के शिवाजी नगर निवासी नवनीत गोयल साइबर ठगी का शिकार हो गए। महिला ने वाट्सएप पर संदेश देकर खुद को मुंबई में जिम उपकरण निर्माता कंपनी का मालिक बताया। उनसे कंपनी में निवेश के नाम पर 38.48 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

शिवाजी नगर निवासी नवनीत गोयल ने पुलिस को बताया कि 17 अप्रैल को उनके वाट्सएप पर अपरिचित नंबर से संदेश आया। काल करने वाली महिला ने अपना नाम अदिति ओबराय बताया। कहा, वह बांद्रा वेस्ट मुंबई में इलाइट कंपनी की मालिक है। उसका जिम उपकरण बनाकर बिक्री करने का काम है। महिला ने मित्रता के बाद विश्वास में लेकर उनसे अपनी कंपनी में निवेश कर लाभ अर्जित करने को कहा। वह उसके झांसे में आ गए। उन्होंने 28 अप्रैल से 13 मई के बीच 28.48 लाख की रकम महिला के विभिन्न खातों में जमा कराई। उन्होंने रकम वापस मांगी तो वह 50 हजार डालर जमा कराने को कहा गया। तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ। डीसीपी आदित्य ने बताया कि आरोपित का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

नेट बैंकिंग से 2.80 लाख की साइबर ठगी : शाहगंज के साकेत कालोनी निवासी ब्रजेश कुमार जैन नेट बैंकिंग के द्वारा 3.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का शिकार हो गए। उनहोंने पुलिस को बताया कि 23 दिसंबर 2025 को उनके स्टेट बैंक के खाते से आनलाइन रकम निकाली गई। अगले दिन आनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर सेल में भी शिकायत कर जिस खाते में रकम गई, उसे होल्ड कराने को कहा लेकिन छह महीने बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

RAVI Women's Hospital

An Exclusive Mother & Child care center in the heart of Agra city

निःशुल्क IVF परामर्श
INDIRA IVF RAVI
लैप्रोस्कोपिक (दूरबीन) एवं हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त आईवीएफ लैब
• दर्द रहित प्रसव
• अत्याधुनिक NICU, Obst ICU 24/7
देहली गेट, हरीपर्वत, आगरा | 8477003400-01
All major Health Insurances accepted.
Ravi Hospitals: Agra | Aligarh | Firozabad | Noida | Mathura

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

STPI

(भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त सोसाइटी)

रोजगार सूचना संख्या 2(1)/I/STPI-HQ/2026-27

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) एसटीपी/ईएचटीपी योजना के तहत निर्यातकों को वैधानिक सेवाएं प्रदान कर रहा है और हाई स्पीड इंटरनेट और आईपीएलसी लिंक सहित बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई के पास वर्तमान में देश में विभिन्न स्थानों पर 73 केंद्र हैं।

नीचे दिए गए समूह 'क' से नीचे की गैर-तकनीकी रिक्तियों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्तियों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने का प्रस्ताव है। सीधे भर्ती के आधार पर की गई नियुक्तियां पद पर शामिल होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगी।

क्रम सं.	पोस्ट कोड	पद का नाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	
1	जेएचटी	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	स्तर 6 (Rs. 35400-112400)	09 (अनारक्षित-06, ओबीसी-02, एससी-01)	सीधी भर्ती हेतु	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट)

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर। (आवश्यक योग्यता और अनुभव, परीक्षा का पैटर्न, आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क, सामान्य नियम और शर्तें, स्क्रीनिंग/चयन मानदंड, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि, ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम/समापन तिथि, लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्र आदि के बारे में जानकारी के लिए, उम्मीदवार एसटीपीआई वेबसाइट **www.stpi.in** देखें)।

हस्ते/- (मु.प्र.अधि.-सह- रजिस्ट्रार), एसटीपीआई

कार्यालय ग्राम पंचायत नरायनी, वि०ख० सोरों, जनपद कासगंज

पत्रांक-मीमो/निविदा/2026-27 दिनांक : 23.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत नरायनी विकास खण्ड सोरों के द्वारा वर्ष 2026-27 में पंचम वित्त/केन्द्र वित्त आयोग/मनरेगा के अन्तर्गत इ०लॉकिंग,खरंजा, नाली, सी०सी० आदि निर्माण कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, ईंट रोड़ी, बदरपुट, सीमेन्ट, इ०लॉकिंग ईंट, रेता, बालू, स्टोन ग्रिड अन्य सामग्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 24.07.2026 से 30.07.2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक उक्त सामग्री हेतु अपने दरें तथा वांछित संलग्न बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत नरायनी के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदा दिनांक 31.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत नरायनी द्वारा गठित कमेटी के द्वारा सम्बन्धित फर्मों के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी। निविदा हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	कार्य का नाम	कार्य की अवधि	अनुमानित लागत
1.	प्रा० स्कूल में इण्टरलॉकिंग व मरम्मत कार्य	15 दिन	4.58 लाख

निविदा के सम्बन्ध में निविदा फार्म शर्त/नियम एवं प्राक्कलन आदि सम्बन्धित जानकारी निविदा डालने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अवनीश कुमार, प्रशासक, ग्राम पंचायत नरायनी (कासगंज) — जगमोहन सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत नरायनी (कासगंज)

कार्यालय ग्राम पंचायत अफजलपुर, वि०ख० कासगंज, जनपद कासगंज

पत्रांक-मीमो/निविदा/2026-27 दिनांक : 23.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत अफजलपुर विकास खण्ड कासगंज के द्वारा वर्ष 2026-27 में पंचम वित्त/केन्द्र वित्त आयोग/मनरेगा के अन्तर्गत इ०लॉकिंग,खरंजा, नाली, सी०सी० आदि निर्माण कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, ईंट रोड़ी, बदरपुट, सीमेन्ट, इ०लॉकिंग ईंट, रेता, बालू, स्टोन ग्रिड अन्य सामग्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 24.07.2026 से 30.07.2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक उक्त सामग्री हेतु अपने दरें तथा वांछित संलग्न बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत अफजलपुर के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदा दिनांक 31.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत अफजलपुर द्वारा गठित कमेटी के द्वारा सम्बन्धित फर्मों के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी। निविदा हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	कार्य का नाम	कार्य की अवधि	अनुमानित लागत
1.	रूपसिंह के घर से दिलीप के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य	15 दिन	4.00 लाख

निविदा के सम्बन्ध में निविदा फार्म शर्त/नियम एवं प्राक्कलन आदि सम्बन्धित जानकारी निविदा डालने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

किशनपाल, प्रशासक, ग्राम पंचायत अफजलपुर (कासगंज) — जगमोहन सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत अफजलपुर (कासगंज)

कार्यालय ग्राम पंचायत पचगाई, वि०ख० सोरों, जनपद कासगंज

पत्रांक-मीमो/निविदा/2026-27 दिनांक : 23.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत पचगाई विकास खण्ड सोरों के द्वारा वर्ष 2026-27 में पंचम वित्त/केन्द्र वित्त आयोग/मनरेगा के अन्तर्गत इ०लॉकिंग,खरंजा, नाली, सी०सी० आदि निर्माण कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, ईंट रोड़ी, बदरपुट, सीमेन्ट, इ०लॉकिंग ईंट, रेता, बालू, स्टोन ग्रिड अन्य सामग्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25.07.2026 से 28.07.2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक उक्त सामग्री हेतु अपने दरें तथा वांछित संलग्न बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत पचगाई के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदा दिनांक 28.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत पचगाई द्वारा गठित कमेटी के द्वारा सम्बन्धित फर्मों के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी। निविदा हेतु प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	कार्य का नाम	कार्य की अवधि	अनुमानित लागत
1.	डाबर रोड से बिजेन्द्र सिंह के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	30 दिन	6.90 लाख
2.	भोली सिंह के खेत से राकेश कुमार के खेत तक खड़ंजा कार्य	30 दिन	6.90 लाख
3.	राकेश कुमार के खेत से डाबर रोड तक खड़ंजा कार्य	30 दिन	6.90 लाख
4.	सामुदायिक शौचालय का सौन्दर्यीकरण एवं रिपेयरिंग कार्य	30 दिन	7.18 लाख
5.	प्राइमरी स्कूल का सौन्दर्यीकरण व इण्टरलॉकिंग व बाथरूम व गेट निर्माण कार्य	30 दिन	17.88 लाख
6.	बिजेन्द्र सिंह के खेत से भोली सिंह के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	30 दिन	6.90 लाख

निविदा के सम्बन्ध में निविदा फार्म शर्त/नियम एवं प्राक्कलन आदि सम्बन्धित जानकारी निविदा डालने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शान्ती देवी, प्रशासक, ग्राम पंचायत पचगाई, सोरों (कासगंज) — सतेन्द्र लोधी, सचिव, ग्राम पंचायत पचगाई, सोरों (कासगंज)

कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा

पत्रांक:- 3/67, /वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2026 दिनांक:- 23.07.2026

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारंभिक अधिसूचना
एस0आई0ए0 की धारा 4 (2) अधिसूचना

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा 4 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत अध्ययन कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

- अपेक्षक निकाय का नाम:- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, मथुरा।
- प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य:- जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे से वृन्दावन (पागल बाबा मंदिर) तक अन्य जिला मार्ग (04 लेन मंदिर) के दोनों ओर 07-07 मीटर चौड़ी सर्विस रोड के निर्माण कार्य हेतु।
- संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा:- जिला स्तर पर गठित समिति।
- संगठन का संपर्क विवरण:- उपजिलाधिकारी माँट, तहसीलदार माँट, खण्ड विकास अधिकारी माँट, ग्राम प्रधान-पानीगांव बांगर।
- भूमि का विवरण:-

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मथुरा	माँट	माँट	पानीगांव बांगर	258 मि0	0.0620
2					259 मि0	0.3125
3.					260 मि0	0.0448
4.					391	0.2069
5.					392 मि0	0.2242
6.					394	0.1380
7.					529	0.0688
8.					530 मि0	0.6885
9.					531 मि0	0.0543
10.					548 मि0	0.3442
11.					550	0.1531
12.					551 मि0	0.1179
13.					553	0.1980
14.					554	0.0391
15.					555	0.1061
16.					772 मि0	0.2034
17.					773	0.0214
18.					774 मि0	0.0208
19.					777 मि0	0.3313
20.					778 मि0	0.0326
21.					782	0.2614
22.					784	0.1316
23.					785	0.0470
24.					810	0.2154
25.					812	0.2346
26.					823	0.1712
27.					825	0.2963
28.					828 मि0	0.1369
29.					830 मि0	0.2819
30.					832 मि0	0.3970
31.					838	0.0816
32.					910/259 मि0	0.0166
33.					918/823 मि0	0.1537
-----	-----	-----	-----	योग	-----	5.7931

- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ का संक्षिप्त विवरण:- स्थानीय जनता को सुगम मार्ग (सर्विस लेन) उपलबध होगी जोकि श्री वृन्दावन धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी निर्बाध आवागमन हेतु सहायक होगी।
- परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल:- तहसील माँट के राजस्व ग्राम-पानीगांव/ क्षे0 5.7931 हैक्टे0।
- क्या ग्राम सभा अथवा भू-स्वामी की सहमति आवश्यकता है :- नहीं।
- सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि:- 01.04.2026

टिप्पणी:- कलेक्टर (अर्जन प्रयोजनार्थ) कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

-कलेक्टर
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ), मथुरा

झाड़ू-पोंछा के बहाने हीरे के आभूषण ले भागी महिला गिरफ्तार

जासं, आगरा: कामवाली बनकर पाश इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली आरोपिता अंजू देवी को ताजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के कब्जे से पुलिस ने करीब सोने-चांदी समेत हीरे के आभूषण बरामद किए है। मामले में विभव नगर की रहने वाली संध्या वर्मा ने तहरीर दी कि छह जुलाई को उन्होंने घर में काम के लिए झाड़ू-पोंछा लगाने वाली महिला को रखा। तीसरे दिन महिला अधूरा काम छोड़कर घर से भाग गई। इस बीच घर में रखे सोने, चांदी और डायमंड के गहने लापता मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपिता की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार को आरोपिता महिला को मारुति सिटी कहरई मोड़ की रहने वाली अंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपिता की निशानदेही पर चोरी किए सभी गहने बरामद कर लिए हैं। आरोपिता के खिलाफ सदर बाजार थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नं. एच-2, ताज नगरी फेज 2, फतेहाबाद रोड, आगरा | ई-नीलामी 25.08.2026

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति (बैंक ऑफ इण्डिया) हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रतिभूति- दाता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियॉ जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है का कब्जा प्रतिभूति लेनदार (बैंक ऑफ इण्डिया) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर प्रतिभूति लेनदार की अधोलिखित रुपये की बकाये राशि की वसूली हेतु अंकित तिथि 25.08.2026 को प्रात: 11 बजे से साय: 5 बजे तक बेचा जायेगा।

क्रं सं.	ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	जिला मैनपुरी, शाखा: कुसमारा, सम्पर्क करें मो.: 8561062389	
1.	**ऋणी**- 1. मेसर्स देव गिफ्ट एम्पोरियम, प्रोप. अमर प्रकाश पुत्र रामनरेश सिंह, **गारंटर**- 1. रामनरेश सिंह यादव पुत्र ताले सिंह यादव, 2. सरोज कुमारी पत्नी रामनरेश सिंह यादव, सभी का पता- महाकवि देव इंटरकॉलेज के सामने इटावा रोड कुसमरा जिला मैनपुरी बकाया राशि: रू. 30,23,092.64 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 22.07.2026	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड स्थित 35, खसरा नंबर 1192, मुख्य इटावा-बेवर रोड कुसमरा तहसील किशनी जिला मैनपुरी, एरिया: 169.14 वर्ग मीटर, संपत्ति सरोज कुमारी पत्नी रामनरेश सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व- कुसमरा इटावा रोड, पश्चिम- अमर सिंह का मकान, उत्तर- संतोष का मकान, दक्षिण- रामनरेश का मकान आरक्षित मूल्य: 58,10,000/- अग्रिम धनराशि: 5,81,000/- सांकेतिक
2.	**ऋणी**- श्री बलराम सिंह पुत्र दीप सिंह, पता- ग्राम भाग्य नगर नगला खिरिया तहसील किशनी जिला मैनपुरी, गारंटर- श्री जगराम सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह, पता- मकान नंबर 455 बी रुरिया कौआ भरथना इटावा बकाया राशि: रू. 67,23,267.64 + ब्याज व अन्य खर्चे, घटायें वसूली यदि कोई हुई हो तो बिक्री सूचना पत्र दिनांक: 22.07.2026	सर्वे नंबर 561 के, मौजा किशनी मुख्य इटावा-भिंड-बरैली रोड सरकारी अस्पताल के पास किशनी, एरिया: 131.97 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री बलराम सिंह पुत्र दीप सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व- इटावा बेवर रोड, पश्चिम- रेखा यादव की संपत्ति, उत्तर- सरकारी अस्पताल, दक्षिण- बित्तम देवी की संपत्ति आरक्षित मूल्य: 44,10,000/- अग्रिम धनराशि: 4,41,000/- सांकेतिक

ई-नीलामी की तिथि: 25.08.2026, समय: सुबह 11: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक

नियम एवं शर्तें:- 1. यह ई-नीलामी पीएसबी अलायंस द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीदाताओं को वेबसाइट पर अपना नाम, पता, संपर्क विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करके पंजीकरण करना होगा। 3. बोलीदाताओं के पास वैध पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 4. सफल पंजीकरण के बाद बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिएनिर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। 5. बोली लगाने वाले निर्धारित नीलामी अवधि के दौरान संपत्ति पर बोली लगा सकते हैं। 6. नीलामी अवधि के अंत में उच्चतम बोली लगाने वाला ही विजेता घोषित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाएगी, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। विजेता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान जमा की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर लेगा। भुगतान भुगतान में चूक होने पर संपत्ति दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दीजा सकती है या पुनर्विक्रय की जा सकती है और चूक करने वाले क्रेता का कोई दावा नहीं होगा। संपत्ति पर देय सभी वैधानिक और अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. यदि किसी भी कारण से बिक्री की पुष्टि नहीं होती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को बिक्री से संबंधित सभी आकस्मिक खर्चा का वहन करना होगा और क्रेता बोली लगाने वाला किसी भी प्रकार के मुआवजे या हर्जाने का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 8. इच्छुक पक्ष बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 9. संपत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक / अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. संपूर्ण विक्रय मूल्य के भुगतान और विक्रय संबंधी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, सफल क्रेता बोलीदाता को विक्रय प्रमाण पत्र सरफेसी नियम में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जारी किया जाएगा। सफल क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सभी मौजूदा पूर्व भविष्य के कर और शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदिवहन करने होंगे। 11. यह सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओं गिखीदारों गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8 (6)/6(2)/9 (1) के तहत भी दी गई सूचना है। 12. बोली लगाने वाले अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोली लगाने वाले को स्वयं करनी होगी, बैंक सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली गुल होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 13. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण द्वारा संपत्ति पर किसी भी दावे, शुल्क और भार के संबंध में सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, विस्तार, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। 14. यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहलेबैंकों को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी को रोका / रद्द किया वापस लिया जा सकता है। 15. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित शर्तो और इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में बैंकों के दिशानिर्देशों के अधीन होगी। 16. संयुक्त भूखंड के प्रस्तावों को प्राथमिकता दीजाएगी और संयंत्र और मशीनरी के लिए बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब भूमि और भवन के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होगी। 17. बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को भविष्य में अपनी पेशकश को 10,000 रुपये के गुणक में सुधारना होगा। 18. यदि किसी लॉट की अंतिम बोली राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो नीलामी खरीदार को बैंक को अंतिम मुगतान करते समय आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए केअनुसार अचल संपत्ति के विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत टीडीएस (वजन कटौती) काटकर आयकर विभाग को बैंक ऑफ इंडिया पैन नंबर AAACB0472C के नाम से जमा करना होगा और बैंक को चालान / करदाता की प्रतिलिपि और फॉर्म 26qb अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। खरीदार को अन्य सभी लागू वैधानिक कर,देय राशि, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर,सोसायटी शुल्क और अन्य सभी समान शुल्क भी वहन करने होंगे। 19. अंग्रेजी संस्करण और स्थानीय भाषाके संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। 20. बोलीदाताओं को ई-नीलामी के दिन ऑनलाइन बोली जमा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसी भी स्थिति में, एक बार बोली जमा हो जाने पर बोलीदाता जमा की गई राशि के लिए बाध्य होगा / होंगी और किसी भी अनुरोध / संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकर्ता / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त रराशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चा सहित ई-नीलामी की तिथि से पहले कर दें। अन्यथा, सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 25.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी